सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 317 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०)
20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 फरवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-62/2015 का. 1156-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832A/03, गृह जिला- औरंगाबाद), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति- अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के विरूद्ध थाना नं०-298, मौजा-हेथु के खाता नं०-14 प्लॉट नं०-1300, रकबा-0.72 एकड़ जो सरकार द्वारा बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू-अर्जन वाद सं०-09/2008-09 से किया गया है, के वास्तविक हकदार को मुआवजा भुगतान किए जाने के दौरान अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, राँची के पत्रांक-203(i)/स्था०, दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 317--50